(79)

समक्ष : राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

विविध /2017
I/विविध/छिन्दवाडा/भू.रा./2017/6203

राजेश कुमार इनवाती पिता स्वर्गीय श्री दादूराम इनवाती ,महाकाली मंदिर के पास गढा फाटक जवलपुर म.प्र. ।

,..........आवेदक

श्री सुनील सिंह पार्टी
द्वारा आज दि० 20.12.17
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 4-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 12.17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्धारा जिलाध्यक्ष छिदवाडा

.....उत्तरवादी

आवेदन पत्र वास्ते संशोधन करने वावत धारा 32 म0प्र0 भू–राज्य संहिता 1959 के तहत

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है। :

1. यहकि, आवेदक द्धारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रकरण 1/निगरानी/छिंदवाडा/भू0रा0/2017/4802 प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 13.12.2017 से स्वीकार की गई ।
2. यहकि, श्रीमान न्यायालय के निगरानी आदेश दिनांक 13.12.2017 के पैरा 1 में खसरा नं. 125/2 रकवा 0.164 एंव खसरा नं. 136/2 रकवा 0.342 हे. कुल रकवा 0.500हे. गलती से अंकित हो गया है । जिसे सुधार कर भूमि सर्वे कमाक 125/3 रकवा 0.164 एवं 136/2 रकवा 0.342 हे. कुल रकवा 0.506 हे. सुधार किया जाना न्याय संगत है।
3. यहकि, माननीय न्यायालय से आवेदक का निवेदन है कि उक्त संशोधन मान्य करने की कृपा करें
4. अन्य बिन्दु सुनवाई के समय उठाये जावेगें ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आवेदक द्धारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन पत्र मान्य किया जाना न्याय संगत है।

20/12/17

आवेदक
राजेश कुमार इनवाती द्वारा अभिभाषक
20.12.17
सुनील सिंह जादौन एडवोकेट

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/विविध/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/6203 **जिला** – छिंदवाड़ा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.12.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जादौन एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/4802 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2017 की पैरा 1 की पांचवी लाइन में कुल रकवा 0.506 के स्थान पर 0.500 अंकित हो गया है। उक्त त्रुटि टंकण की त्रुटि है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि प्रस्तुत अभिलेख से होती है। अतः न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./ 2017/4802 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2017 की पैरा 1 की पांचवी लाइन में कुल रकवा 0.500 के स्थान पर 0.506 पढ़ा जाए। यह आदेश उक्त आदेश का अंग रहेगा। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रशासकीय सदस्य	